नियम कार्य से पास्ट

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 9/2/18 को पेश हुई।

9/2/18

[illegible] वकील द्वारा
[illegible] करके पत्र
13/3/18

13/3/18 पत्रावली [illegible] हुई। वादी द्वारा प्रकरण पत्रावली कार्ते तलबी हेतु दिनांक 26/4/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

11/5/18 पत्रावली आज दिनांक को कैम्प न्याय आपके द्वारा बहलोड में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का लेकर अदालत की भावना से सुनवाई गई। ग्राम पंचायत बहलोड सरपंच की रिपोर्ट व तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 218 वाके ग्राम बहलोड तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) वादी के बाप के स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी सं० 2 व 3 रामचन्द, बापू पुत्रान सेडू हिस्सा 1/3 के स्थान पर रामचन्द, बापू, प्रभुदयाल पुत्रान सेडू हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रति वाकिल रखा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़